अधिकारियों की सेवाकाल में वृद्धि करने संबंधी नीति

507. **श्री हरिकेश बहादुर :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि करने संबंधी किसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) रेलवे बोर्ड के कितने सदस्यों को उनके सेवाकाल में वृद्धि दी गई है ;

(ग) क्या रेल अधिकारियों ने उक्त वृद्धि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर कड़ी जांच-पड़ताल के बाद जन-हित को देखते हुए केवल आपवादिक मामलों में दी जाती है।

(ख) तीन।

(ग) जी हां।

(घ) तीनों सदस्यों को दी गयी सेवाकाल में वृद्धि समाप्त की जा चुकी है।

सौराष्ट्र मेल रेल दुर्घटना में हुई मौतें

508. **श्री हरिकेश बहादुर :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अक्तूबर, 1980 को सौराष्ट्र मेल रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे/घायल हुए ;

(ख) दुर्घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृतकों के परिवार के सदस्यों को सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 27-10-1980 को लगभग 01.05 बजे जब 6अप हापा-बम्बई सौराष्ट्र मेल पश्चिम रेलवे के मियागाम करजण और इटोला स्टेशनों के बीच चल रही थी तो वह एक डाउन माल गाड़ी के उस माल डिब्बे से टकरा गयी जो उसी समय पटरी से उतर कर उसके रास्ते पर आ गिरा था।

इस दुर्घटना में 11 व्यक्ति मारे गये, 14 को गम्भीर चोटें आयीं और 10 मामूली रूप से घायल हुए।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा इस दुर्घटना में मारे गये 9 व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा 20 घायल व्यक्तियों को क्रमश: 17,000/- रुपए तथा 17,250/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में निर्णय तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा, जिसकी नियुक्ति विचाराधीन है, किया जायेगा।

इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप दो रेल कर्मचारी मारे गये जो कि ड्यूटी पर थे तथा एक अन्य को गम्भीर चोटें आयीं। घातक मामलों में 2000/- रुपये प्रति व्यक्ति तथा अन्य के मामले म 1000/- रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रह भुगतान किया गया है। इसके अलावा, इन मामलों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।